नेशनल दस्तक

Toggle navigation

- होम
- मुख्य खबरें
- देश
- विदेश
- राज्य
- राजनीति
- खेल
- बिजनेस
- सिनेमा
- विमर्श
- वीडियो
- गैलरी
- Login

Feedback

डिजिटल स्वतंत्रता की ओर

Written by : पवन दुग्गल
Date : 2016-02-10

नेट निरपेक्षता पर ट्राई के नए नियम आम भारतीय को उस डिजिटल उपनिवेशवाद से बचने के अधिकार देंगे, जिसका खतरा अभी टला नहीं है।

यह भविष्य की ओर बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। सोमवार को भारत की टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी ट्राई ने नेट निरपेक्षता पर एक गजट जारी करके स्पष्ट कर दिया कि डाटा सेवाओं के लिए शुल्क में कोई भेदभाव नहीं हो सकेगा। यानी आप डाटा सेवा लेने के बाद कौन-सी सामग्री देख रहे हैं, इसके आधार पर आपसे शुल्क नहीं लिया जा सकेगा। अब कोई भी सेवा प्रदाता ऐसा नहीं कर सकेगा। वह इसके लिए कोई समझौता, कोई व्यवस्था या कोई कांट्रेक्ट भी नहीं कर सकेगा। हालांकि इन नियमों में कुछ अपवाद स्वरूप मामलों में लचीला रुख अपनाया गया है, जहां सेवा प्रदाता अगर चाहे, तो आपातकालीन स्थिति या किसी सार्वजनिक आपातकाल में कम लागत वाली सेवा दे सकता है। अब यह सार्वजनिक आपातकाल क्या होता है, इसकी व्याख्या यहां पर नहीं की गई है और इसे तय करने का काम पूरी तरह से नियामक पर छोड़ दिया गया है। इन नियमों में उल्लंघन का दंड भी तय कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में प्रदाता की सेवाएं खत्म की जा

सकती हैं, और साथ ही उल्लंघन करने वाले पर 50 हजार रुपये प्रतिदिन का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

अगर आम आदमी के नजरिये से देखा जाए, तो ट्राई के ये फैसले काफी महत्वपूर्ण हैं। एक तरह से यह भारत का नया डिजिटल स्वतंत्रता दिवस है, जिसे हमें किसी उत्सव की तरह ही मनाना चाहिए। पिछले कुछ साल में हमने ऐसे कई तरह की प्लान देखे हैं, जिनके लिए कई सेवा प्रदाता भेदभावपूर्ण शुल्क वसूलते रहे हैं। इसको थोड़ा विस्तृत नजरिये से देखें, तो डाटा सेवा के लिए भेदभावपूर्ण शुल्क का खतरा डिजिटल साम्राज्य या डिजिटल उपनिवेश बनाने तक जा सकता है। इस हिसाब से नए नियम हमें डिजिटल उपनिवेश बनने से बचाने के लिए उठाया गया एक सही कदम है। ये नियम आम भारतीयों को इस उपनिवेशवाद से बचाने का काम करेंगे। ये नियम उन लोगों के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो अभी तक इस डिजिटल रथ पर सवार नहीं हो सके हैं, लेकिन उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों या अगले कुछ साल में डिजिटल और मोबाइल की इस दुनिया से वे अपना नाता जरूर जोड़ लेंगे। ये नए नियम ऐसे लोगों के अधिकारों की भी रक्षा करते हैं।

फिलहाल ये नियम दो साल के लिए लागू किए गए हैं। ट्राई का कहना है कि वह दो साल बाद इन पर फिर से विचार करेगा। दो साल बहुत लंबा समय है। अगर मोबाइल और डिजिटल दुनिया के लिहाज से सोचें, तो इतने समय में बहुत बड़े बदलाव सामने आ सकते हैं। दो साल की यह समय सीमा बताती है कि नियामक ने लचीला रुख अपनाया है और वह बदले समय की नई हकीकत के हिसाब से बदलाव करने के लिए तैयार है। नेट निरपेक्षता और भेदभावपूर्ण शुल्क काफी जटिल मसला है और इस लिहाज से नियामक ने काफी संपूर्णतावादी रुख अपनाया है। ट्राई का यह रवैया न सिर्फ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करेगा, बल्कि भारत की प्रभुसत्ता और विश्वसनीयता को भी आहत होने से बचाएगा। यह तरीका डिजिटल इंडिया योजना के भावी विकास में मदद करेगा और सबको आगे बढ़ने का समान मैदान यानी 'लेवल प्लेइंग फील्ड' देगा। दूसरी तरफ, कुछ सेवा प्रदाताओं का नजरिया यह है कि यह पीछे ले जाने वाला कदम है। उनका कहना है कि अब वे सीमित सस्ती या मुफ्त सेवा देकर आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से तक नहीं पहुंच पाएंगे।

लेकिन इस पूरे मामले को हमें एक अलग नजरिये से भी देखना चाहिए। आज के दौर में सेवा प्रदाता भेदभावपूर्ण शुल्क के प्लान सिर्फ इसलिए बनाते हैं, ताकि उपभोक्ता कौन-सी सामग्री देख रहे हैं, उन्हें इसके आंकड़े मेटा डाटा में मिल सकें। इस तरह के आंकड़ों से वे भारी कमाई कर सकते हैं। इन आंकड़ों और मेटा डाटा का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, यह सेवा शर्तों में बारीकी से कहीं छिपा होता है। अक्सर उपयोगकर्ता ये सस्ती सेवाएं बिना यह जाने ले लेते हैं कि उनके नतीजे क्या होंगे? और उनके अधिकारों पर इसका क्या असर होगा? नए नियम इन्हीं सेवा शर्तों के मामले में उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करते हैं।

एक राष्ट्र के तौर पर भारत को पारदर्शिता अपनानी चाहिए। कोई चीज मुफ्त मिल रही है, इसका यह अर्थ नहीं है कि वह बेहतर ही है। एक पुरानी कहावत है कि अगर आपको कोई चीज मुफ्त दी जा रही है, तो इसका अर्थ है कि आपको बहुत सस्ता मान लिया गया है। भेदभावपूर्ण शुल्क के प्लान पर भी यही सिद्धांत लागू होता है।

यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय में किस तरह से इस प्रावधान को लागू किया जाता है। अंत में तो नतीजा ही बताएगा कि ये नियम कितने उपयोगी साबित हुए हैं। नतीजा इस पर निर्भर करेगा कि इस कानून के प्रावधान किस तरह आकार लेते हैं। लेकिन जहां तक नेट निरपेक्षता पर भारत की सोच का मामला है, तो वहां तक ये काफी स्पष्ट और दीर्घकालिक नजरिये वाले हैं। इसके साथ ही यह देखना भी दिलचस्प होगा कि इन प्रावधानों पर आगे काम कैसे होता है और भारत में इंटरनेट अर्थव्यवस्था व मोबाइल इंटरनेट किस तरह उभरकर सामने आता है।

नेट निरपेक्षता एक जटिल विषय है और इसमें कदम-कदम पर संतुलन साधते रहने की जरूरत पड़ती है। इसी संतुलन को साधते हुए हमें इसकी राष्ट्रीय नीति की आधारशिला रखनी होगी। जहां तक नेट निरपेक्षता के न्यायशास्त्र को विकसित करने का मामला है, तो इसकी परीक्षा भविष्य में ही होगी।

(लेखक साइबर कानून विशेषज्ञ है तथा ये लेखक के अपने विचार हैं)

साभार: हिन्दुस्तान

ट्वीट
Share 21

© copyright reserved National Dastak. All right reserved

Powered by Amiable Infotech